30-10-19 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगणो की तरफ से वकील श्री शिवराजसिंह राठौड़ ने जवाब पेश किया, नकल देकर शामिल पत्रावली किया गया। मूल वाद विड्रा होकर खारिज हो चुका है इसलिये T.I. प्रार्थना पत्र का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है अतः मूल वाद के परिपेक्ष में T.I. प्रा० पत्र भी खारिज किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से जमा हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.07.28 12:25:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner